

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाइमेर

राजस्व आवेदन सं. 47/2020 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पोकरराम वगैरा बनाम नैनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

दिनांक – 07.09.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा लाखासर (बाछड़ाऊ), तहसील धनाऊ में खेत खसरा सं. 147 रकबा 08.09 बीघा, खसरा सं. 183 रकबा 12.01 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा लाखासर (बाछड़ाऊ), तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 147 रकबा 08.09 बीघा, खसरा सं. 183 रकबा 12.01 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाइमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1218

दिनांक 09/09/2021

प्रार्थीगण :-

1.पोकरराम पुत्र प्रतापाराम 2.बगताराम 3.हनुमानराम
4.आईदानराम 5.मूलाराम पि.रामलाल 6.रामचन्द्र के
का.मु. :- 6/1.मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र,
जाति ब्राहमण,निवासी लाखासर (बाछड़ाऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.नेनाराम 2.ठाकराराम 3.चेतनराम पि.जीयाराम
4.गवरी पत्नि जीयाराम 5.जेठाराम 6.मगाराम पि.
शेराराम 7.अचला गोदपुत्र करना 8.भीखाराम
9.रेखाराम पि.अजाराम 10.लिखमा 11.खेराज
12.माना पि.उम्मेदा 13.रावता 14.चनणा पि.खेमा
15.दीपाराम पुत्र वालाराम 16.लालाराम 17.बगताराम
18.सन्ताराम पि.वीरमाराम, जाति जाट, 19.भीखा
पुत्र मांगीलाल 20.लालाराम 21.प्रभूराम 22.जेताराम
पि.गोमदाराम, जाति ब्राहमण, निवासी लाखासर
(सोडियार), 23.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 47/2020

दिनांक : 07.09.2021

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा लाखासर के खेत खसरा सं. 147 रकबा 08.09 बीघा एवं खसरा सं. 183 रकबा 12.01 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1219 to 1222
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण पोकरराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण नेनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 09/09/2021

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन